राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला: श्री गंगानगर(राज.)
फोन: 01509–220006, 220084, 223877(ऑफिस)
फैक्स: 01509–220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS COPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-"MINI RATNA" Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)
Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)
Fax: 01509-220068, 223877(Office)

क्रमांकः–सी.एस.एफ. / सूरत / उधान् / 02 / 2020–21 दिनांकः– 07.12.2020

:– निविदा सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के विशिष्ट संतति उधान् खण्ड संख्या–3 (भगवानसर बस अड्डे के पास) मे नींबू प्रजाति (माल्टा, मौसम्बी, किन्नों नींबू इत्यादि), लगभग 4000 फलदार पौधों की कटाई– छंटाई हेतु फार्म मुख्यालय में खुली बोली / निविदा का आयोजन **दिनाँक 28.12.2020** को **सायँ 3:00** बजे फार्म मुख्यालय में किया जा रहा है। खुली बोली में भाग लेने हेतु प्रत्येक बोलीदाता को रु 6000 / – (रुपये छः हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट धरोहर राशि जो कि **"राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़"** के नाम से देय हो के रूप में फार्म खजाँची के पास जमा करवाना होगा। इच्छुक ठेकेदार सीलबन्द टेण्डर जो **निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़** के नाम से भेज सकते है। जो इस कार्यालय में नीलामी के दिन दोपहर 1:00 बजे तक पहुँच जाने चाहिये। सीलबन्द टेण्डर के साथ रु 6000 / – (रुपये छः हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न होना चाहिए जो कि **"राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़"** के नाम से देय हो, डिमाण्ड ड्राफ्ट के अभाव में टेण्डर स्वीकार नही होगा। **टेण्डर की कीमत र 118 / –** डिंमाड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान कर फार्म के उद्यान विभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

कार्य की नियम व शर्ते बोली के दिन पढकर सुना दी जायेगी। बिना डिंमाड ड्राफ्ट जमा किये कोई भी व्यक्ति बोली मे भाग नही ले सकता है।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–"मिनी रत्न" कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला: श्री गंगानगर(राज.)
फोन: 01509–220006, 220084, 223877(ऑफिस)
फैक्स: 01509–220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS COPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking-"MINI RATNA" Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)
Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)
Fax: 01509-220068, 223877(Office)

पत्रांक / सी0एस0एफ0 / सूरत / उद्यान / 02 / 2020–21 दिनांकः– 07.12.2020

फलदार पौधों की कटाई–छँटाई हेतु नियम व शर्ते

1. प्रत्येक बोलीदाता को पौधों की कटाई–छंटाई के लिए बोली में सम्मिलित होने हेतु रूपये 6000 / – का डिमाण्ड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में फार्म खजांची के पास बोली देने से पूर्व जमा करवाना होगा। असफल बोलीदाता की धरोहर राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी एवं सफल बोलीदाता की धरोहर राशि कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण होने पर लौटा दी जायेगी जिस पर फार्म कोई ब्याज नहीं देगा।
2. सफल बोलीदाता को नींबू प्रजाति (माल्टा, मौसम्बी, किन्नों, नींबू इत्यादि), के पौधों की सूखी शाखाओं व अवांछित शाखाओं को आरी व कैंची से काटना होगा व कटी हुई सभी शाखाओं को प्लॉट से बाहर निकालकर जलाना होगा। फार्म द्वारा जिन पौधों को चिन्हित किया जायेगा उन्हीं पौधों की कटाई–छंटाई का कार्य ठेकेदार करेगा।
3. सफल बोलीदाता को कटाई–छंटाई में आरी व कैंची का प्रयोग ही करना होगा जिसको की ठेकेदार स्वयं लायेगा। ठेकेदार द्वारा कुल्हाड़ी का प्रयोग कटाई–छंटाई में नही किया जायेगा।
4. ठेकेदार कटी–छंटी लकड़ी 6-9 ईन्च की गर्थ तक वहीं पर जला सकता है या बाहर ले जा सकता है तथा 9 ईन्च की गर्थ से ऊपर की लकड़ी बाग में जमा करानी होगी।
5. ठेकेदार को बिल का भुगतान लगभग 1000 पौधों की कटाई–छंटाई का कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण होने पर कर दिया जायेगा।
6. पौधों की कटाई–छंटाई का कार्य 29 **फरवरी** 2020 तक पूर्ण करना होगा। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 15 दिन बढ़ाई जा सकती है।
7. कार्य अधूरा छोड़ने पर यह कार्य किसी दूसरे ठेकेदार द्वारा करा लिया जायेगा। इस कार्य को दूसरे ठेकेदार से कराने पर जो भी क्षति फार्म को होगी वह प्रथम ठेकेदार से वसूल कर ली जायेगी। किये हुए कार्य का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा तथा धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
8. ठेकेदार कार्य करते समय फार्म की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचायेगा अगर ऐसा होता है तो नुकसान की भरपाई ठेकेदार से कर ली जावेगी।
9. कार्य की मात्रा घटाई व बढ़ाई जा सकती है जिस पर कि ठेकेदार कोई भी आपत्ति नहीं करेगा।
10. फार्म निदेशक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये बोली स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते है।
11. ठेकेदार के पास पेन कार्ड होना अनिवार्य है तभी लेखा चिभाग द्वारा बिल का भुगतान किया जावेगा ।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक